**सरयू राय**
मंत्री
संसदीय कार्य-सह
खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

कार्यालय :-
झारखण्ड मंत्रालय
प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची
आवास : एफ-टाईप, पी०डब्लू०डी० (बी)
डोरण्डा, रांची
मो० 9431114466

पत्रांक..आ०स०का०/.58/17　　　　　　　　　　दिनांक 27/03/2017

माननीय मुख्य (खान) मंत्री,
झारखंड सरकार.

महाशय,

शनिवार दिनांक 25.03.2017 को साहेबगंज जिला स्थित "चुआ पहाड़" पर बसी पहाड़िया जनजाति को उचित मात्रा में खाद्यान्न एवं अन्य अधिकारिताएं प्राप्त हो रही या नहीं इसकी जानकारी करने हेतु वहां गया था। इसके साथ ही साहेबगंज के वन विभाग और साहेबगंज कॉलेज के भूगर्भशास्त्र विभाग द्वारा वहां उपलब्ध "दुर्लभ जीवाश्मों के संरक्षण" विषय पर आयोजित सेमिनार में भी भाग लिया था। इस संबंध में निम्नांकित दो बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

1. साहेबगंज के पहाड़ तेजी से पत्थर खनन उद्योग से जुड़े लोगों द्वारा काटे जा रहे हैं। नेशनल हाईवे से पहाड़ों के उत्खनन् का वीभत्स दृश्य दिखाई पड़ता है। "चुआ पहाड" जाने के क्रम में लम्बा और दुर्गम रास्ता तय करने के दौरान दिखाई पड़ा कि पत्थर उद्योग से जुड़े खननकर्त्ता अन्दर के पहाड़ों में भी बेतरतीब खनन कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वहां "दर्जनों क्रेशर कॉलोनियां" स्थापित हो गयी हैं। इनमें से कितने खननकर्त्ता और कितने क्रशर वैध या अवैध है इस बारे में शहर एवं जिला प्रशासन भी सही जानकारी देने में असमर्थ प्रतीत हो रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार को पत्थर खनन से कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है और कितने राजस्व को हानि हो रही है, इसका अन्दाजा लगाना मुश्किल है। मिर्जाचौकी पोखर और बरहरवा में स्थापित चेक नाका पर बिहार, बंगाल, बंगलादेश और अन्य इलाकों में जाने वाली वैध, अवैध गिट्टी की मात्रा की जितनी जानकारी है उसकी तुलना पत्थर निकालने के लिए काटे गये क्षेत्र से निकले पत्थरों के धनत्व के साथ का अनुपात करने पर पता चल जायेगा

email : saryuroy@gmail.com/info@saryuroy.in/वेबसाईट -- www.saryuroy.in

Scanned with OKEN Scanner

कि वहां हो रहे खनन में वैध और अवैध की मात्रा क्या है। इस गंभीर विषय में ठोस कार्रवाई की अपेक्षा है।

2. साहेबगंज जिला के मंडरो में जीवाश्म का एक बड़ा क्षेत्र है। दुनिया में इसे सर्वश्रेष्ठ जीवाश्म स्थल के रूप में जाना जाता है। यह बहमूल्य सम्पदा संरक्षण के अभाव में विलुप्त होते जा रही हैं। अब तक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। आगे और नुकसान न हो इसके लिए एक कार्य योजना बनाकर उस पर त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है।

ऐसा हुआ तो एक अतुलनीय धरोहर को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। इस जीवाश्म पार्क क्षेत्र मे भी कई पत्थर खनन रैयती जमीन का पट्टा लेकर खनन करने की योजनाएं स्वीकृत करा चुके हैं। जीवाश्म क्षेत्र में ऐसे खनन पर अविलम्ब रोक लगना चाहिए और इस क्षेत्र में जारी किये गये खनन पट्टे निरस्त किये जाने चाहिए ताकि एक विश्वप्रसिद्ध बेशकीमती धरोहर को नष्ट होने से बचाया जा सके।

उम्मीद है कि उपर्युक्त दोनों बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त शीघ्र कार्रवाई का निर्देश देंगे।

भवदीय,

सरयू राय